



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक:-प.57/जविप्रा/अ.आ./पीआरएन/2022/डी-66

दिनांक:- 24/03/2023


कैम्प कार्यक्रम

प्रशासन शहरों के संग-2021 के अन्तर्गत पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में उपायुक्त पीआरएन दक्षिण-द्वितीय के प्रस्तावानुसार गू0 गि0 स0 समिति की आवासीय योजना का नियमन शिविर कार्यक्रम राक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार आयोजित किया जाना है:-

क्र. सं.	जोन	दिनांक	सोसायटी का नाम	योजना का नाम	ग्राम	भूखण्ड	शिविर स्थल
1.	पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)	04.04.2023	कीर्ति नगर कॉ.हा.सो.लि.	चौपड़ा एननक्लेव व ए ब्लॉक	चक गणपतपुरा-प्रथम	1 से 27 एवं ए ब्लॉक के 1 से 15 तक	जोन कार्यालय


उपरोक्त योजनाओं की सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्ता योजनाओं की सदस्यता सूची के सम्बन्ध में अथवा अन्य कोई आपत्ति यदि किसी व्यक्ति/संस्था को हो तो कैम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में सम्बन्धित जोन उपायुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

- कैम्प में डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.)/ बैंकर चैक के माध्यम से भी राशि स्वीकार्य।
- डी.डी. राशि अधिक होने पर आधिक्य राशि का रिफण्ड देय।
- कैम्प में इन्टरनेट बैंकिंग से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध।
- कैम्प में नागरिक सेवा केन्द्र में आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जाएंगे।


(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (विधि/वित्त/आयोजना), जविप्रा जयपुर।
5. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
6. संयुक्त आयुक्त(संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि कैम्प आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करवाना एवं आगन्तुकों से मारक का प्रयोग अनिवार्य रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
7. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा को जयपुर- शिविर स्थल पर माकूल व्यवस्था बनाये रखने हेतु।
8. उपायुक्त पीआरएन, (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि आप द्वारा प्रस्तावित कैम्प कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया गया है, फिर भी कैम्प से पूर्व योजना की नियमानुसार जांच/परीक्षण करने के पश्चात् ही कैम्प आयोजित (पट्टा जारी) किया जाना सुनिश्चित करें।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं आवश्यक व्यवस्थाएं कराने हेतु।
10. उप निदेशक(जनसंपर्क), जविप्रा, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
11. उपायुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर को शिविरों के दौरान आवश्यक कार्गिकों की व्यवस्था एवं प्राप्त नकद राशि की सुरक्षा तथा स्टाम्प वेंडर व नोटरी पब्लिक की व्यवस्था करने हेतु।
12. उपायुक्त (स्टोर), जविप्रा, जयपुर को जोन उपायुक्तों की आवश्यकता अनुसार शिविरों हेतु टैंट कुर्सी पानी पंखे स्टेशनरी आदि की व्यवस्था हेतु।
13. उपायुक्त (वाहन), जविप्रा, जयपुर को जोन उपायुक्तों की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने हेतु।
14. अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम(पीआरएन), जविप्रा, जयपुर को आवश्यक व्यवस्थाएं कराने हेतु।
15. अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत), जविप्रा को विद्युत संबंधी व्यवस्था हेतु।
16. तहसीलदार, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
17. लेखाधिकारी (भुगतान), को शिविरों में कैशियर की व्यवस्था हेतु।
18. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जविप्रा परिसर, जयपुर।
19. वरिष्ठ लेखाधिकारी (आर.सी.आर.), जविप्रा, जयपुर।
20. केयर टेकर, जविप्रा, जयपुर।
21. पी.बी.एक्स/स्वागत कक्ष, जविप्रा, जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।


(बाबूलाल गौयल)
अतिरिक्त आयुक्त (पीआरएन)

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-2561259} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसटेशन: {1028}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : aceastprn@gmail.com